

बजट सामाचार

राजस्थान में बाल संरक्षण की नीतियां, योजनाएं एवं बजट

बाल संरक्षण से तात्पर्य बच्चों को विभिन्न प्रकार के जोखिमों, यौन शोषण, तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह इत्यादि से बचाना शामिल है। अर्थात् बच्चों को उन परिस्थितियों से बचाना जो बच्चों के स्वस्थ विकास और कल्याण को जोखिम में डालते हैं। पिछले वर्षों की तुलना में राजस्थान में बच्चों के खिलाफ अपराधों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2012 से 2016 की अवधि के दौरान बच्चों के खिलाफ कुल अपराधों में राजस्थान का हिस्सा करीब 14 प्रतिशत रहा है। पोक्सो अधिनियम के तहत पंजीकृत बच्चों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि पिछले वर्ष के मुकाबले 6 गुना अधिक रही है। जनगणना 2011 के अनुसार, राजस्थान में देश के कुल बाल मजदूर का 8 प्रतिशत है। कुल बाल जनसंख्या (2.37 करोड़) में से 26.63 लाख बाल मजदूर 5-19 वर्ष आयु वर्ग के हैं जो इस आयु वर्ग के बच्चों का 11.22 प्रतिशत है, जिनमें से 87.76 प्रतिशत ग्रामीण और 12.23 प्रतिशत शहरी हैं। राजस्थान में आयु वर्ग के वितरण को देखा जाये तो 5-9 वर्ष आयु वर्ग में कुल बाल श्रम का करीब 3 प्रतिशत, 10-14 आयु वर्ग में 17.56 प्रतिशत और 15-19 आयु वर्ग में 79.35 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में 15-19 वर्ष आयु वर्ग के सबसे ज्यादा बाल मजदूर (18.53 लाख) हैं जो राजस्थान में कुल बाल मजदूर का 69.56 प्रतिशत है। 5-14 वर्ष आयु वर्ग के राजस्थान में 8.5 लाख बाल श्रमिक (5-14 वर्ष की आयु) हैं जो इस आयु वर्ग की कुल आबादी का 5.2 प्रतिशत है। भारत में विवाह के लिए कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। राजस्थान राज्य में अखिल भारतीय औसत की तुलना में हमेशा की तरह बाल विवाह की दर अभी भी उच्च बनी हुई है। राजस्थान में एनएफएचएस-4 के अनुसार 20-24 उम्र के 35.4 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 साल की उम्र से पहले हो जाता है और 25-29 आयु वर्ग की 35.7 प्रतिशत पुरुषों का विवाह कानूनी उम्र से पहले होता है।

राजस्थान में बाल संरक्षण की नीतियां : राजस्थान में बाल संरक्षण हेतु मुख्य रूप से दो नीतियां- बाल नीति 2008 और बालिका नीति 2013 हैं। राजस्थान में बाल संरक्षण से जुड़ी इन दोनों नीतियों की संक्षिप्त चर्चा यहां की गयी है।

बाल नीति 2008- बाल नीति 2008 का मुख्य उद्देश्य सभी स्तरों पर खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना तथा सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, शोषण और उपेक्षा से सभी बच्चों को कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा यह मातृ स्वास्थ्य को मजबूत करने, सभी बच्चों को आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने पर भी जोर देता है। एचआईवी/एड्स से पीड़ित बच्चों की देखभाल, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना, सार्वजनिक-निजी भागीदारी सुनिश्चित करना और सभी बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने की बात करती है। अर्थात् बाल नीति का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शोषण, भेदभाव, हिंसा, यौन शोषण, तस्करी या अमानवीय व्यवहार से बचाना है। इसके अलावा दवाओं, शराब, तंबाकू आदि के उपयोग से बच्चों को बचाना और बाल श्रम को समाप्त करना भी अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं।

बालिका नीति 2013- बालिका नीति का मुख्य उद्देश्य लड़कियों के प्रमुख मुद्दों जैसे बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या एवं बाल विवाह को रोकना है। यह नीति हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण के खिलाफ सुरक्षा और बालिका संरक्षण से संबंधित अभिकरणों और बालिका सशक्तिकरण को मजबूत करने पर भी जोर देती है। इसके अलावा इसका उद्देश्य एक सुरक्षात्मक कानूनी और प्रशासनिक वातावरण का निर्माण करना भी है।

राजस्थान में कुल बाल बजट में बाल संरक्षण के लिए बजट:

राज्य में मोटे तौर पर बाल केन्द्रीत कार्यक्रमों पर कुल बजट की तकरीबन 18 से 20 प्रतिशत राशि व्यय की जाती है। हाल ही के वर्षों में कुल राज्य बजट में बच्चों के प्रति कुल बजट आवंटन में गिरावट का रुझान रहा है। राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय का आंकलन करने के लिये विभिन्न विभागों में बाल केन्द्रीत योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बजट को शामिल किया गया है। जिसको मुख्य रूप से चार क्षेत्रों शिक्षा, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बाल विकास एवं पोषण आदि में बांटा गया है। राज्य में बाल बजट का क्षेत्रवार विश्लेषण किया जाये तो सर्वाधिक आवंटन एवं व्यय (करीब 83 प्रतिशत) शिक्षा पर किया जाता है। जबकि बाल संरक्षण पर 1 प्रतिशत से भी कम राशि आवंटित की जाती है तथा स्वास्थ्य (परिवार कल्याण सहित) पर 5 से 7 प्रतिशत तथा शेष बाल विकास एवं पोषण पर आवंटन किया जाता है। अतः बाल केन्द्रीत बजट की अधिकांश राशि शिक्षा एवं संबंधित मद्दों पर व्यय की जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य के कुल बाल बजट में बाल संरक्षण एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर बजट आवंटन तुलनात्मक रूप से बहुत ही कम है। अतः बच्चों के स्वास्थ्य एवं संरक्षण संबंधी योजनाओं के बेहतर क्रियाव्ययन एवं इनको मजबूत करने हेतु बजट आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता है।

राजस्थान में बाल संरक्षण हेतु प्रमुख योजनाएं एवं बजट :

राजस्थान में बाल संरक्षण के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। इनमें से कुछ केंद्र प्रायोजित हैं और अन्य राज्य की स्वतंत्र योजनाएं हैं। मुख्य रूप से बाल संरक्षण का बजट दो योजनाओं में बांटा हुआ है, पालनहार और समेकित बाल संरक्षण योजना। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के माध्यम से विकलांग बच्चों के लिए कुछ योजनाएं संचालित की जाती हैं। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (बाल संरक्षण) की इन योजनाओं में मुख्य रूप से नेत्रहीन लड़के/लड़कियों के लिए निवास स्थान सहित पाठशालाओं, शारीरिक विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता प्रदान करना आदि शामिल है। बाल संरक्षण के कुल बजट का करीब 10 प्रतिशत बजट इन योजनाओं के लिए खर्च होता है।

पालनहार योजना- अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं कर समाज के भीतर ही बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना को 8 फरवरी 2015 को शुरू किया गया था। इस योजना के निम्नलिखित लाभार्थी हैं:

- न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान।
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने।
- नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने।

शेष पृष्ठ 4 पर...

राजस्थान में विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जातियों की स्थिति एवं बजट

वे जातियाँ जो अपनी आजीविका की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती हैं, वे विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जातियाँ कहलाती हैं। राजस्थान में ऐसी जातियों की संख्या 32 है, जिनमें बावरी, रेबारी, गाड़िया-लुहार, भाट, आदि जातियाँ शामिल हैं। इनमें से कुछ जातियाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल की गयी हैं। वैसे तो राजस्थान में इनकी संख्या का कोई सटीक आँकड़ा नहीं है, परंतु "द वायर" में छपे एक लेख के अनुसार इन जातियों की आबादी राज्य की कुल आबादी की 8 प्रतिशत है। प्राचीन समय से ही इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति काफी खराब रही है। अंग्रेजों ने विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जातियों के विरुद्ध कुछ अधिनियम जैसे क्रिमिनल एक्ट, 1871 और फॉरेस्ट एक्ट, 1864 बनाये थे जिनके परिणाम स्वरूप यह धारणा बन गई कि ये अपराधी होते हैं और इन्हीं कारणों से ये वर्षों तक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनैतिक अवसरों से वंचित रहे। हालांकि स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों द्वारा जारी किए गए अधिनियमों को रद्द कर दिया गया, फिर भी इन जातियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया और ये सदियों तक उपेक्षित रहें।

आर्थिक दृष्टि से विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जातियाँ शिकार, चरवाहागिरी, लोगों का मनोरंजन, जानवरों से फसलों की सुरक्षा आदि कार्य करती हैं। ये जातियाँ अस्थायी बस्तियों, कच्चे घर और तंबू में रहती हैं जहाँ स्वच्छ पेयजल, बिजली, शौचालय, स्वच्छता, इत्यादि जैसी मूल सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं होती हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा में पिछड़ेपन के साथ-साथ ये जातियाँ आर्थिक एवं सामाजिक रूप से भी पिछड़ी हुई हैं। समाज के लोग इन जातियों के साथ रहना नहीं चाहते एवं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इनके साथ भेदभाव किया जाता है। ब्रिटिश सरकार के क्रिमिनल एक्ट, 1871 के कारण विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जातियों को आज भी ऐसी ही दृष्टि से देखा जाता है।

इन सब समस्याओं के अलावा इन्हें भारत के संविधान में भी समुचित स्थान नहीं मिला है एवं ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग तक ही सीमित हैं। विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जातियों के लिए कोई नीति भी नहीं बनाई गयी है। इनकी संख्या का कोई सटीक आँकड़ा नहीं होना ही इनकी उपेक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है। इन जातियों के अधिकतर लोगों के पास किसी भी तरीके का पहचान दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड अथवा वोटर कार्ड का होना भी मुश्किल है। इससे यह पता पड़ता है कि इन जातियों के पास अपनी पहचान नहीं होती है।

विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू कल्याण बोर्ड एवं बजट:

इस वर्ग के लोगों के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सन् 2014 में राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू आयोग बनाया। इस आयोग का कार्य देश की सभी विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जातियों को पहचानना एवं उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ अनुसंधान एवं अध्ययन को आरम्भ करना था। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के पहले से ही राजस्थान में विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू कल्याण बोर्ड का गठन साल 2012 में किया गया था। इस बोर्ड का उद्देश्य इन जातियों के उत्थान, सर्वांगीण विकास एवं योजनाओं का व्यवस्थित क्रियाव्ययन करना है।

इस बोर्ड के लिए बजट का आवंटन मद 2235 के उपमुख्य शीर्ष 02, लघु शीर्ष 200 तथा उप शीर्ष 18 के अंतर्गत किया जाता है।

तालिका 1 - विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू कल्याण बोर्ड के लिए आवंटित बजट (राशी लाख रु. में)

वर्ष	2014-15			2015-16			2016-17			2017-18			2018-19		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	
विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू कल्याण बोर्ड	7	12	3	12	0.01	0	0.03	6	6	18	13	18			

स्रोत - बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

इस बोर्ड का बजट वर्ष 2014-15 में 7 लाख रु. था जो बढ़कर वर्ष 2018-19 में 18 लाख रु. हो गया। बोर्ड हेतु बजट आवंटन में काफी बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2014-15 में 7 लाख रु. में से केवल 3 लाख रु. ही खर्च हो पाये तथा वर्ष 2015-16 में 12 लाख रु. में से कुछ भी राशि खर्च नहीं की गयी थी।

विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जातियों हेतु योजनाएं एवं बजट :

राज्य में इन जातियों के लिए बनाई गयी अधिकतर योजनाएँ केवल इनकी शिक्षा तक ही सीमित हैं जैसे कि छात्रावास की सुविधा, आवासीय विद्यालय, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, कौशल प्रशिक्षण, छात्रों/छात्राओं के लिए साइकिल वितरण योजना, इत्यादि। निराशाजनक बात यह है कि जो भी योजनाएं हैं उन में से अधिकतर योजनाओं के लिए पिछले 5 सालों में कोई बजट आवंटन नहीं किया गया। इनके लिए बजट का आवंटन बजट मद 2235 के उपमुख्य शीर्ष 02, लघु शीर्ष 196 तथा उप शीर्ष 21 एवं 4235 के उपमुख्य शीर्ष 02, लघु शीर्ष 800 तथा उप शीर्ष 08 के अंतर्गत किया जाता है। गाड़िया-लुहारों हेतु बजट आवंटन मद 2225 के उपमुख्य शीर्ष 03, लघु शीर्ष के द्वारा किया जाता है। केवल 3 योजनाओं, छात्रावास की सुविधा, आवासीय विद्यालय और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, में ही कुछ बजट का आवंटन हुआ है। इनसे संबंधित योजनाओं के बजट का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

तालिका 1 - विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जातियों की योजनाओं के लिए आवंटित बजट (राशी लाख रु. में)

वर्ष / योजनाएं	2014-15			2015-16			2016-17			2017-18			2018-19		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	
छात्रावास सुविधाएं	7	7	6	0.12	0.12	0	0.12	0.12	0	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	
आवासीय विद्यालय	0.12	0.11	0	0.11	0.11	0	0.11	0.11	0	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
विशेष शैक्षणिक अनुदान	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	

शेष पृष्ठ 3 पर...

राज्य में कौशल विकास कार्यक्रम: एक अवलोकन

कौशल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी क्षमताओं को निखार सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप यह इंगित करता है कि कृषि के साथ-साथ अन्य व्यवसाय तथा उद्योग जैसे निर्माण, वस्त्र, हस्त-शिल्प, खुदरा, बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा सेवाएँ, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा रत्न एवं आभूषण भी रोजगार क्षेत्र में अपने पैर जमा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगले दो दशकों में भारत में 15-29 वर्ष की आयु वाले 12 लाख युवा एवं किशोर श्रम शक्ति में शामिल होंगे। वर्ष 2022 तक विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में 109 लाख या अधिक कुशल कारीगरों की आवश्यकता होगी। जबकि केवल 2.3 प्रतिशत श्रम शक्ति ही औपचारिक कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षित हुई है। स्किल डवलपमेंट एंड ऑन्टरप्रेन्यूरशिप 2015 की नेशनल पॉलिसी के अनुसार 94.6 प्रतिशत अन्य मजदूर एवं 128.25 लाख कृषि मजदूर श्रम शक्ति को पुनः कौशल, उच्च कौशल तथा अन्य आवश्यक प्रशिक्षणों की आवश्यकता है।

अर्थात् प्रशिक्षित या कुशल श्रमिकों की संख्या अत्यंत कम एवं सोचनीय है। हमारे पास युवा हैं किन्तु उनको कुशल बनाने हेतु संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम या तो पर्याप्त नहीं है या उनमें कुछ ऐसी कमियाँ हैं जिनके कारण यह वर्ग वांछित रूप से प्रशिक्षित नहीं हो पा रहा है। किन्तु क्या केवल प्रशिक्षण पर जोर देना काफी होगा। यदि रोजगार के नए विकल्प तैयार नहीं हो पाए तो कौशल विकास नीतियों की सार्थकता पूरी नहीं हो पाएगी। जितना आवश्यक कौशल विकास है उतना ही आवश्यक रोजगार विकल्प तैयार करना भी है। यह कुशल युवा अपने कौशल को केवल इसलिये हासिल करता है ताकि उस कौशल के एवज़ में रोजगार लाभ प्राप्त हो।

2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य का देश में सातवाँ स्थान है तथा देश की 5.92 प्रतिशत युवा जनसंख्या राजस्थान में है। राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से करीब 73.14 लाख किशोर (15-19 वर्ष आयु वाले) तथा करीब 64.26 लाख युवा (20-24 वर्ष आयु वाले) हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रस्तुत कौशल विकास में अंतर के विश्लेषण हेतु किए गए अध्ययन (वर्ष 2012-17 एवं 2018-22) के अनुसार राजस्थान में करीब 280 लाख श्रम शक्ति जनसंख्या है, जिसमें प्रति वर्ष 2.2 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि से प्रति वर्ष लगभग 6 लाख नए लोग मार्केट में रोजगार हेतु प्रवेश करते हैं। यदि इन 6 लाख लोगों तथा बीते वर्ष के बेरोजगार लोगों को ध्यान में रखा जाए तो राजस्थान में बेरोजगारी को पूर्ण रूप से समाप्त करने हेतु प्रतिवर्ष 7-8 लाख लोगों हेतु रोजगार तैयार करने होंगे।

प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित जनसंख्या की स्थिति: श्रम मंत्रालय द्वारा किए गए पांचवें एम्प्लॉयमेंट-अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट, 2015-16 के स्किल एंड लेबर फोर्स वॉल्यूम-3, 2015-16 के अनुसार प्रशिक्षण की वस्तुस्थिति निम्नांकित है -

राजस्थान में 15 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या के प्रशिक्षण की वस्तु स्थिति (प्रतिशत)

औपचारिक प्रशिक्षित जनसंख्या			अनौपचारिक प्रशिक्षित जनसंख्या			अप्रशिक्षित जनसंख्या		
पुरुष	महिला	ट्रान्सजेंडर	पुरुष	महिला	ट्रान्सजेंडर	पुरुष	महिला	ट्रान्सजेंडर
3.6	1.3	0	7.7	2.5	0	88.6	96.2	100

स्रोत - श्रम मंत्रालय द्वारा किए गए पांचवें एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट, 2015-16

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि अधिकतर जनसंख्या अप्रशिक्षित है एवं औपचारिक रूप से प्रशिक्षित जनसंख्या सबसे कम है। ट्रान्सजेंडर लोगों के प्रशिक्षण की स्थिति भी सोचनीय दिखाई पड़ती है।

राजस्थान में कौशल विकास : राजस्थान में कुशल युवाओं की कम संख्या तथा मांग और पूर्ति की कमी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में कौशल उन्नयन हेतु विभिन्न कदम उठाए गए हैं। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.) सभी विभागों के साथ काम करते हुए योजनाओं का संचालन कर रही है। राजस्थान में कंवर्जेंस मॉडल को अपनाते हुए वर्ष 2014 में योजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेश पारित किया गया जिसके अंतर्गत आर.एस.एल.डी.सी. को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह सभी विभागों द्वारा संचालित कौशल विकास से संबंधित योजनाओं के कंवर्जेंस, क्रियान्वयन, केंद्र निधि एवं राज्य निधि वित्त पोषण को पूर्णतः संचालित करेगा।

राजस्थान के कुल 10 विभाग आर.एस.एल.डी.सी. के माध्यम से अपने सभी कौशल विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करवाते हैं, ये विभाग निम्नानुसार हैं -

1. राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (एससीडीसी), 2. स्थानीय स्वशासन विभाग (एनयूएलएम), 3. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ग्रामीण विकास विभाग (आरआरएलपी) 4. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, 5. श्रम विभाग, 6. अल्पसंख्यक विभाग, 7. वन विभाग, 8. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु ग्रामीण विकास विभाग, 9. महिला एवं बाल विकास विभाग, 10. राजस्थान संस्कृत अकादमी।

इनके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी एवं अनुदानित शिशु गृहों के 17 वर्ष से अधिक आयु के किशोर एवं युवाओं को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना तथा पालनहार योजना के अंतर्गत लाभान्वित बच्चों को कौशल विकास के साथ व्यावसायिक, तकनीकी तथा उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए इनका पुनर्वास करवाना है।

केन्द्र एवं राज्य सरकार की कौशल विकास योजनाएं :

केन्द्र सरकार की कौशल विकास योजनाएं - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्तमान में 6 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, संकल्प, उड़ान, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग असेसमेंट एंड रिवाइव (स्टार), पॉलिटैक्निक योजनाएँ, व्यावसायिक शिक्षा शामिल हैं।

राजस्थान सरकार की कौशल विकास योजनाएं - राजस्थान में आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा मुख्यतः निम्न 5 योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं -

1. एम्प्लॉयमेंट लिंकड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम (ईएलएसटीपी) - इस योजना का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास कार्यक्रमों को रोजगार से जोड़ना है। इस योजना के लिए चयनित प्रशिक्षण संस्था को न्यूनतम 70 प्रतिशत प्रशिक्षार्थियों का प्लेसमेंट अनिवार्य करवाना होता है। इस योजना के लाभार्थी 15-35 वर्ष के ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवा होते हैं विशेष रूप से इस योजना में स्कूल ड्रॉप आउट (जो कि किसी भी नियमित विद्यालय कोर्स या अन्य डिग्री न ले रहे हों) को लाभान्वित किया जाता है।

2. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना - यह योजना पूरे देश में चलाई जा रही है। राजस्थान में इस योजना का क्रियान्वयन 2014 से प्रारम्भ हुआ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के साथ रोजगार के अवसर देते हुए गरीबी मिटाना है। इस योजना के लाभार्थी 15-35 वर्ष के ग्रामीण बेरोजगार युवा जो कि बीपीएल, आरएसबीवाई, अन्त्योदय, एनआरएलएम, एसएचजी परिवार, ग्राम पंचायत एवं पीआईपी द्वारा चयनित युवा एवं एनआरईजीए में

पिछले वर्ष 15 से अधिक दिनों तक कार्य कर चुके युवा हैं। विशेष वर्गों हेतु आयु में रियायत दी जाती है।

3. रेगुलर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम (आरएसटीपी) - राजस्थान में इस योजना का क्रियान्वयन आरएमओएल के तहत 2005 से प्रारम्भ हुआ जिसे वर्ष 2014-15 में पुनः संशोधित किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कौशल उन्नयन से स्वरोजगार एवं उत्पादकता वृद्धि को बढ़ावा देना है। इस योजना के लाभार्थी 16-35 वर्ष के युवा, 16-45 वर्ष की महिलाएं, 18-50 वर्ष के जेल के कैदी, बाल सुधार गृह के कैदी एवं 18-45 वर्ष के विशेषयोग्यजन हैं।

4. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना - यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह एक महत्वाकांशी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेंगे। इस योजना के तहत, प्रशिक्षण और मूल्यांकन शुल्क पूरी तरह से सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है।

4.1. शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग - इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल/कॉलेज छोड़ने वाले या बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना है। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा, प्रशिक्षण संस्थाएं सॉफ्ट स्किल, उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगी। प्रशिक्षण की अवधि प्रत्येक कार्य के अनुसार 150 और 300 घंटे के बीच होती है। प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन के सफल समापन पर प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्लेसमेंट सहायता प्रदान की जाती है।

4.2. रेकॉग्नीशन ऑफ प्रायोर लर्निंग (आरपीएल) - इस योजना का उद्देश्य देश के असंगठित कार्यबल की दक्षताओं को नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) में शामिल करना है। इस योजना के तहत अनुभवी व कौशल वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन और प्रमाणीकरण किया जाता है।

4.3. विशेष परियोजनाएं - इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य योग्यता मापदंड/राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के तहत ना आने वाले युवाओं को सरकारी क्षेत्रों, कॉर्पोरेटों या उद्योग निकायों के विशेष क्षेत्रों और परिसरों में प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना है।

4.4. कौशल एवं रोजगार मेला - प्रशिक्षार्थियों को अधिक जागरूक बनाने के लिए प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा/मीडिया कवरेज के साथ हर 6 माह के बाद कौशल एवं रोजगार मेला लगाया जाता है। प्रशिक्षण संस्थाओं को राष्ट्रीय कैरियर सेवा मेले और ऑन-ग्राउंड गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना भी आवश्यक होता है।

5. विशेष परियोजनाएं - प्रशिक्षण व प्लेसमेंट गुणवत्ता बढ़ाने तथा प्रशिक्षित युवाओं को प्लेसमेंट तक बनाए रखने हेतु आर.एस.एल.डी.सी. ने इंडस्ट्रीज असोसिएटेड विथ कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ सहभागिता की है। यह योजना कौशल उन्नयन की कमी जैसे अत्यधिक खर्चीले प्रशिक्षण, इंडस्ट्री प्लेसमेंट आदि हेतु अतिरिक्त वित्तीय भार को भी वहन करती है। इस योजना के लाभार्थी 15-35 वर्ष के गरीब बेरोजगार युवा होते हैं।

राज्य में कौशल विकास से जुड़ी अन्य संस्थाएं : आर.एस.एल.डी.सी. के अलावा राज्य में कौशल विकास हेतु निम्न संस्थाएं कार्यरत हैं -

1. पॉलिटैक्निक कॉलेज - प्रदेश में कुल 154 पॉलिटैक्निक कॉलेज हैं जिनमें कुल 35,895 सीटें हैं। 154 पॉलिटैक्निक कॉलेजों में 43 शासकीय कॉलेज (6,480 सीटें) तथा 108 निजी कॉलेज (29,415 सीटें) हैं।

2. आईटीआई कॉलेज - प्रदेश में कुल 1894 आईटीआई हैं जिनमें कुल 3,31,342 सीटें एवं 118 ट्रेड हैं। 1894 आईटीआई में 241 शासकीय कॉलेज (35,051 सीटें) तथा 1653 निजी कॉलेज (2,96,291 सीटें) हैं।

3. कौशल विश्वविद्यालय - राज्य में कुल 2 कौशल विश्वविद्यालय हैं। जिसमें राजस्थान आईएलडी (इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट), स्किल यूनिवर्सिटी (आरआईएसयू) सरकारी एवं भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी (बीएसडीयू) निजी है। आरआईएसयू द्वारा विभिन्न कॉलेजों को संबद्धता प्रदान कर विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षार्थियों का कौशल उन्नयन करवाया जाता है।

नियंत्रक एवं महालेखाकार के प्रतिवेदन में आर.एस.एल.डी.सी. की स्थिति : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2017 के मार्च के प्रतिवेदन अनुसार आर.एस.एल.डी.सी. के लक्ष्य और प्राप्ति/उपलब्धि के आंकड़े अधिक सराहनीय नहीं हैं जिनका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है-

कार्यक्रम	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि(प्रतिशत में)
रेगुलर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम (आरएसटीपी)	26,000	14,134	54.36
एम्प्लॉयमेंट लिंकड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम (ईएलएसटीपी)	2,30,000	1,27,548	55.46
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)	1,00,000	32,418	32.42

स्रोत - भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2017 के मार्च के प्रतिवेदन के आधार पर

आर.एस.एल.डी.सी. के वेबसाइट के अनुसार आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा करीब 3.05 लाख प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा 31,129 प्रशिक्षार्थी अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं। यदि आर.एस.एल.डी.सी. के इस डेटा को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रस्तुत कौशल अंतराल पर किये गये अध्ययन (वर्ष 2012-17 एवं 2018-22) से तुलना की जाए तो केवल लगभग 50 प्रतिशत वर्कफोर्स ही औपचारिक रूप से प्रशिक्षित है या औपचारिक प्रशिक्षण ले रही है।

संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो राजस्थान में मांग एवं पूर्ति में अनुमानित कमी को पूरा करने हेतु और अधिक स्व-रोजगार प्रोत्साहन, नये रोजगार विकल्पों के साथ अधिक से अधिक प्रशिक्षण दिये जाने होंगे तथा एक ऐसे मंच को बढ़ावा देना होगा जो कि रोजगार प्रदाता एवं रोजगार चाहने वालों को एक दूसरे के बारे में जानकारी दे सके। किन्तु केवल कौशल उन्नयन को बढ़ावा देना ही काफी नहीं होगा, यदि कुशल एवं प्रशिक्षित युवाओं के पास कोई रोजगार का पर्याप्त विकल्प ही मौजूद नहीं होगा तो उनकी कुशलता का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि अंततः सभी कोशिशें मुख्यतः जीवनयापन हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती हैं। कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजनाओं की सार्थकता केवल बेरोजगार तबके में आई कमी ही सिद्ध कर सकती है। अधिकांश निजी संस्थाएं जो कौशल विकास की वे योजनाएं संचालित कर रही हैं जिनमें न्यूनतम 70 प्रतिशत प्रशिक्षार्थियों का प्लेसमेंट आवश्यक है। इस मानदंड को पूरा करना बेहद मुश्किल है। जिस तरह कौशल विकास हेतु स्किल इंडिया मिशन चलाया जा रहा है उसी तरह से विभिन्न रोजगार विकल्पों को बनाने के लिए अत्यंत विशिष्ट एवं विस्तृत नीतियों वाली परियोजनाएं एवं कार्यक्रमों को अपनाया जाना चाहिए।

पृष्ठ 3 का शेष - राजस्थान में क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम...

विकास कार्यक्रम के बजट अनुमान में पिछले तीन वर्षों के बजट अनुमान से 10 करोड़ रुपये की कमी की गई है। सभी क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के पिछले वर्षों के बजट अनुमान से वास्तविक व्यय कम रहा है। सरकार द्वारा किसी भी वर्ष आवंटित बजट का 100 प्रतिशत खर्च नहीं किया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के पिछले पांच वर्षों के बजट अनुमान में वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक बजट 193.33 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। वर्ष 2017-18 में सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की संशोधित अनुमान की राशि में बजट अनुमान की राशि से 38.40 करोड़ रुपये बढ़ाकर 198.40 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

राज्य में चल रहे क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों की पिछले पांच वर्षों की वित्तीय स्थिति के विपरीत भौतिक उपलब्धियां देखी जाये तो वर्ष 2014-15 में पूर्ण कार्यों की संख्या सबसे कम रही है जबकि आवंटित बजट में कोई कमी नहीं की गई थी। पिछले पांच वर्षों की भौतिक उपलब्धियों को हम नीचे दी गई तालिका से समझ सकते हैं -

क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों की वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक भौतिक स्थिति

वर्ष/ विकास कार्यक्रम	मेवात क्षेत्रीय	डोंग क्षेत्रीय	मगरा क्षेत्रीय	सीमावर्ती क्षेत्रीय
गत वर्षों के बकाया कार्यों की संख्या	-	-	-	-
चालू वर्ष के स्वीकृत कार्यों की संख्या	निश्चित नहीं	निश्चित नहीं	निश्चित नहीं	निश्चित नहीं
कुल कार्यों की संख्या	-	-	-	-
पूर्ण कार्यों की संख्या	523	676	869	1504
पूर्ण कार्यों की संख्या का प्रतिशत	-	-	-	-
गत वर्षों के बकाया कार्यों की संख्या	679	1250	1588	850
चालू वर्ष के स्वीकृत कार्यों की संख्या	783	358	509	935
कुल कार्यों की संख्या	1462	1608	2097	1785
पूर्ण कार्यों की संख्या	358	636	640	532
पूर्ण कार्यों की संख्या का प्रतिशत	24.49	39.55	30.52	29.80
गत वर्षों के बकाया कार्यों की संख्या	1063	1026	1531	1346
चालू वर्ष के स्वीकृत कार्यों की संख्या	719	1092	1008	803
कुल कार्यों की संख्या	1782	2118	2539	2149
पूर्ण कार्यों की संख्या	1012	884	1203	921
पूर्ण कार्यों की संख्या का प्रतिशत	56.79	41.74	47.38	42.6
गत वर्षों के बकाया कार्यों की संख्या	821	1063	1345	1323
चालू वर्ष के स्वीकृत कार्यों की संख्या	1539	932	733	1725
कुल कार्यों की संख्या	2360	1995	2078	3048
पूर्ण कार्यों की संख्या	746	996	975	1009
पूर्ण कार्यों की संख्या का प्रतिशत	31.61	49.92	49.92	33.10
गत वर्षों के बकाया कार्यों की संख्या	1815	1252	1291	2194
चालू वर्ष के स्वीकृत कार्यों की संख्या	830	1188	860	195
कुल कार्यों की संख्या	2645	2440	2151	2389
पूर्ण कार्यों की संख्या	947	642	585	727
पूर्ण कार्यों की संख्या का प्रतिशत	35.80	26.31	27.20	30.43

स्रोत - राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर

राज्य में क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों की 5 वर्ष की भौतिक प्रगति पर नजर डालें तो यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष कुल कार्यों की संख्या के हिसाब से पूर्ण कार्यों की संख्या कम रही है।

ऊपर दी गई तालिका से यह भी देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 में कम काम हुए लगते हैं लेकिन सही रूप में यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि पिछले वर्षों के अधूरे कार्यों को अगले वर्ष तक करवाया जाता है इसलिए एक वर्ष में कितने कार्य पूर्ण हुए यह कह पाना संभव नहीं है। वर्ष 2015-16 में क्षेत्र विकास कार्यक्रमों में पूर्ण कार्यों की संख्या का प्रतिशत सबसे कम रहा है।

वर्ष 2018-19 में क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों की वित्तीय स्थिति (दिसम्बर 2018 तक)
(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का नाम	01-04-2018 तक कुल बकाया राशि	आवंटित राशि	जारी राशि	उपलब्ध राशि पर ब्याज और अन्य आय	खर्च हेतु उपलब्ध राशि	कुल खर्च	उपलब्ध राशि के विपरीत खर्च का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सीमावर्ती क्षेत्रीय	13406.03	13523.00	8233.00	0.00	21639.03	9818.72	45.38
2	मेवात क्षेत्रीय	4597.39	4001.40	0.00	0.00	4597.39	3592.97	78.15
3	डोंग क्षेत्रीय	5393.70	3991.68	2500.00	0.00	7893.70	4767.27	60.39
4	मगरा क्षेत्रीय	4756.55	3972.24	2500.00	0.00	7256.55	2643.4	36.43

स्रोत : राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर

सेवा में,

बुक पोस्ट

श्रीमान/ श्रीमती.....

.....

पिन कोड

- ऊपर दी गयी तालिका से पता चलता है कि वर्ष 2018-19 में राज्य में चल रहे चार क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों में से मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कुल राशि में से 36.43 प्रतिशत राशि खर्च की गयी है, जोकि राज्य में चल रहे कार्यक्रमों के खर्च का सबसे कम प्रतिशत है।
- वर्तमान वर्ष में मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए आवंटित राशि 4001.40 लाख रु. है जबकि जारी राशि शून्य है।
- तालिका से यह भी देखा जा सकता है कि 1 अप्रैल, 2018 तक मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में 4597.39 लाख रु. की राशि पिछले वर्षों की बकाया थी जिसमें से वर्तमान वर्ष में 78.15 प्रतिशत राशि दिसम्बर, 2018 तक खर्च की जा चुकी है।

पृष्ठ 1 का शेष - राजस्थान में बाल संरक्षण...

- पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान।
- एड्स पीडित माता/पिता की संतान।
- कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान।
- विकलांग माता/पिता की संतान।
- तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की संतान।

पालनहार योजनान्तर्गत ऐसे अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि के लिए पालनहार को अनुदान दिया जाता है। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ऐसे अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्द्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है। प्रत्येक अनाथ बच्चे हेतु पालनहार परिवार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे हेतु 500 रुपये प्रतिमाह की दर से तथा स्कूल में प्रवेशित होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, जूते, स्वेटर एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु 2000 रुपये प्रति वर्ष (विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोड़कर) प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। पालनहार परिवार को उक्त अनुदान हेतु आवेदन करने पर शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

समेकित बाल संरक्षण योजना - इस योजना का मूल उद्देश्य बच्चों को संरक्षण एवं देखभाल के साथ मौलिक अधिकार दिलाने में मदद करना है। यह योजना बच्चों को आश्रय, चिकित्सा आवश्यकताएं, पोषण संबंधी सुविधाओं को प्रदान करती है। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र सरकार बजट के पूर्व-निर्धारित हिस्से में योगदान करती है। राजस्थान में यह योजना सरकारी बाल गृहों या गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 4-4.5 हजार बच्चों की मदद करती है। नीचे दिए गए तालिका में बाल संरक्षण से जुड़ी प्रमुख योजनाओं के लिए बजट का विवरण देखा जा सकता है :

तालिका : राजस्थान में प्रमुख बाल संरक्षण योजनाओं के लिए बजट (करोड़ रुपए में)

बाल संरक्षण से संबंधित योजनाएं	2016-17 (वास्तविक व्यय)	2017-18 (बजट अनुमान)	2017-18 (संशोधित अनुमान)	2018-19 (बजट अनुमान)
समेकित बाल संरक्षण योजना	40	40	40	44
बाल कल्याण	7.35	10	8.92	13.35
पालनहार योजना	129.98	130.00	149.50	150.00
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (बाल संरक्षण) की अन्य योजनाएं	18.95	21.33	17.48	26.5
कुल बाल संरक्षण बजट	196.28	201.33	215.91	233.85

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, विभिन्न वर्ष

नोट: सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (बाल संरक्षण) की अन्य योजनाओं में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की विकलांग बच्चों के लिए अन्य योजनाएं शामिल हैं।

बजट आवंटन की दृष्टि से बाल संरक्षण सबसे उपेक्षित क्षेत्र है जिसमें बच्चों के लिए आवंटित कुल बजट का मात्र 0.61 प्रतिशत है। बच्चों हेतु आवंटित कुल बजट में बाल संरक्षण के लिए आवंटित बजट का प्रतिशत लगातार कम होता जा रहा है। राज्य में बाल संरक्षण का योजनावार विश्लेषण करें तो इस बजट का अधिकांश हिस्सा (65-70 प्रतिशत) अनाथालय के बच्चों के लिए राज्य योजना की ओर जाता है जिसे पालनहार कहा जाता है। इसके अलावा कुछ हद तक केंद्र प्रायोजित एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS) की ओर भी लगभग 20 प्रतिशत है। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के माध्यम से विकलांग बच्चों के लिए कुछ योजनाएं संचालित की जाती हैं। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (बाल संरक्षण) की इन योजनाओं में मुख्य रूप से नेत्रहीन लड़के/लड़कियों के लिए निवास स्थान सहित पाठशालाओं, शारीरिक विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता प्रदान करना आदि शामिल है। बाल संरक्षण के कुल बजट का करीब 10 प्रतिशत बजट इन योजनाओं के लिए खर्च होता है।

संपादक

संपादक मण्डल

- नेसार अहमद
- महेन्द्र सिंह राव
- नवज्योति राणावत
- ऋषि सिंहा
- नौशाबा खान
- सकील कुरैशी
- शेरल शाह

सहयोग

- अंकुश वर्मा
- भीमसिंह मीणा

सलाहकार

- डॉ जिनी श्रीवास्तव

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :-



बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र ट्रस्ट
पी-1, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barctrust.org